पंचायत विविध संख्या : 262/2024

उनवान देवराज बनाम घीसुलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
19.03.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते स्थगन वर्ष 2022 से विचाराधीन है। प्रार्थी अधिवक्ता प्रकरण में नियमित रुप से वास्ते पैरवी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पत्रावली में पूर्व में अन्तरिम निषेधाज्ञा भी जारी नहीं हो रखी है। तीन वर्ष की अवधि से लम्बित हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः ही अप्रभावी (Infructuous) हो चुका है, जिसे आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा, पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली, जिला-पाली	